परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्याः 342 स0नि0/2010–07स0नि0/2010 दिनांकःसितम्बर 27, ,10

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम।

विषयः परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित मानक से अधिक डीजल कार्यशाला के नाम ईशू न करने एवं दिये जा रहे डेड माइलेज पर विशेष नियंत्रण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0) के कार्यालय आदेश संख्याः 2118 एमटी/2006–62एमटी/2006, दिनांक 08 सितम्बर 2006 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। इस आदेश के पश्चात भी प्रायः देखा जा रहा है कि डिपो कार्यशालाओं में मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में डीजल कार्यशाला के नाम ईशू कराकर डीजल के मूल्य का अनावश्यक अपव्यय किया जा रहा है, जो निगम की वित्तीय हानि की तरफ ले जाता है। इसे तत्काल रोकने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय। इसके बावजूद यदि डिपो में मानक से अधिक डीजल ईशू किया गया तो इसकी रिकवरी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/ सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से की जायेगी।

प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि डिपो स्तर पर दिये जा रहे डेड माइलेज पर क्षेत्रीय स्तर पर कड़े नियंत्रण न होने के कारण डिपो को मनमाने ढंग से डेड माइलेज किसी माह में यदि 10 हजार कि0मी0 है तो दूसरे माह में 25 हजार व 30 हजार कि0मी0 डेड माइलेज दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर निश्चित कर लिया जाय कि डेड माइलेज में अनावश्यक एक से तीन–चार गुना तक बढोत्तरी कैसे हो रही है, क्योंकि डेड माइलेज से सीधा सम्बन्ध डीजल अपव्यय से है, यदि इस पर अंकुश लगाया जाय तो प्रतिमाह लाखों रूपये का डीजल क्षेत्रों में बचाया जा सकता है। जैसा कि मेरठ क्षेत्र में माह जनवरी से मार्च 2010 तक डीजल का डेड माइलेज में अत्यधिक भिन्नता है इसे डीजल के व्यय पर अनावश्यक भार निगम पर पड़ रहा है। इस वित्तीय हानि को रोकने पर कड़ी कार्यवाही क्षेत्रीय स्तर पर की जाये। कृत कार्यवाही से निगम मुख्यालय को तत्काल अवगत भी कराया जाय।

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक